

श्री अरविन्द महाविद्यालय (सांध्य)

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017

दूरभाष / Phone : 011-41751306



SRI AUROBINDO COLLEGE (EVENING)

(UNIVERSITY OF DELHI)

MALVIYA NAGAR, NEW DELHI - 110017

Email : sriarobindoeven@yahoo.com

Website : www.aurobindoe.ac.in

Ref No : SAC(E)/2026-27/347

दिनांक/Dated: October 14, 2026

सूचना / NOTICE

विषय: कॉलेज परिसर में बाहरी लोगों के अनधिकृत प्रवेश पर सख्त रोक

यह अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के महाविद्यालय परिसर में प्रवेश कर रहे हैं।

महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा महाविद्यालय की संपत्ति की रक्षा करने के उद्देश्य से, बिना पूर्व अनुमति के बाहरी व्यक्तियों का महाविद्यालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है।

सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को महाविद्यालय परिसर में आमंत्रित न करें, अपने साथ न लाएँ और न ही किसी अन्य तरीके से उसके प्रवेश में सहायता करें। महाविद्यालय परिसर में बिना वैध अनुमति के पाया जाने वाला कोई भी बाहरी व्यक्ति परिसर से बाहर किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश में सहायता करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

महाविद्यालय प्रशासन इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लेगा। अतः सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस सूचना का कड़ाई से पालन करें। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

SUBJECT: STRICT PROHIBITION ON UNAUTHORIZED ENTRY OF OUTSIDERS IN THE COLLEGE PREMISES

It has come to the notice of the undersigned that unauthorized persons are entering the College premises without prior permission from the College.

In order to maintain institutional discipline, ensure the safety and security of students and staff, and protect College property, the entry of outsiders into the College premises without prior authorization is strictly prohibited.

All students are hereby directed not to invite, accompany, or facilitate the entry of any unauthorized person into the College premises. Any outsider found within the College premises without valid permission from the competent authority shall be liable to be removed from the premises, and appropriate action shall be taken. Students found facilitating such unauthorized entry shall also be liable to strict disciplinary action.

The College Administration shall take a serious view of any violation of these instructions. All students are directed to comply strictly with this notice with immediate effect.


(प्रो. गिरीश चन्द्र जोशी / Prof. Girish Chandra Joshi)
प्राचार्य / Principal